झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–187 वर्ष 2018

योगेंद्र साव उर्फ योगेंद्र साओ, पे0–श्री लक्ष्मण साव, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी–डम्बर लॉज के नजदीक, हुरहुरू रोड, डाकघर–सदर, थाना–बड़ी बाजार, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सचिन कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– मो0 आसिफ खान, ए0पी0पी0।

04 / 19.03.2018 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 आसिफ खान को सुना।

यह आवेदन एस0टी0 केस नंबर 219 / 2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–III, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर किए गए उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 385 और 387 के तहत कोई मामला याचिकाकर्त्ता के खिलाफ इस तथ्य के मद्देनजर नहीं बनता है कि मामले में कोई पीड़ित नहीं है। आगे यह निवेदन किया

गया है कि याचिकाकर्त्ता को सह–अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ विकास जी द्वारा किए गए कथित कबूलनामे के कारण ही फंसाया गया है।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप से प्रकट होता है कि झारखण्ड टाइगर ऑर्गनाइजेशन के कुछ सदस्य वन पासरिया के आसपास घूम रहे हैं, के सूचना पर छापा मारा गया और एक उमेश कुमार उर्फ विकास जी को पकड़ लिया गया, जिन्होनें खुलासा किया कि वह झारखण्ड टाइगर ऑर्गनाइजेशन के सहायक कमांडर हैं। यह आरोप लगाया गया है कि शारीरिक तलाशी करने पर पिस्तौल भी बरामद की गई थी। उक्त गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने बाद में दं0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत बयान दिया था जिसमें उन्होनें कहा था कि यह याचिकाकर्त्ता था जिसने मंटू सोनी को 2,50,000/– दिए थे, प्रदीप जी के लिए हथियार खरीदने के लिए जो गंगा साव की हत्या करने की साजिश कर रहे थे।

आक्षेपित आदेश में केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों पर विचार किया गया है और सी0डी0आर0 से मोबाइल फोन याचिकाकर्त्ता के पास से बरामद किया गया है जो जेल में था। याचिकाकर्त्ता का पूरा कार्य जो प्रतिबंधित झारखण्ड टाइगर ऑर्गनाइजेशन चलाता है, पैसे वसूलने के लिए लगता है। हालांकि याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि पीड़ितों में से कोई भी इस तरह के आरोप को प्रमाणित करने के लिए आगे नहीं आया था, लेकिन इस याचिकाकर्त्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप विशेष रूप से उमेश कुमार उर्फ विकास जी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि हथियार खरीदने के लिए याचिकाकर्त्ता ने मंटू सोनी को 2,50,000/– रूपया दिया था, के मद्दनजर अभियोजन

मामले को यह नकार नहीं सकता है। गवाहों द्वारा समर्थित याचिकाकर्त्ता का कार्य, गंगा साव की हत्या करने की साजिश रचने के अलावा जबरन वसूली में उसकी भागीदारी के बारे में सुझाव देता है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 16.01.2018 के आक्षेपित आदेश में जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों पर ठीक से विचार किया है। इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, जो तद्नुसार निपटायी जाती है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)